प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 20.07.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 369/26 धारा 61(2)/103(1)/351(2)/352/191(2)/190 बीएनएस में वांछित 25 हजार रुपये के ईनामिया अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.06.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी इरशाद पुत्र रहमत निवासी मौहल्ला केतीपुरा पुराना कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत ने लिखित सूचना दी कि वादी के भतीजे शाहजान पुत्र इरफान के साथ अभियुक्त सलमान पुत्र वली निवासी मौहल्ला मुगलपुरा कस्बा व थाना कोतवाली बागपत ने गाली गलौच की, जान से मारने की धमकी दी तथा अभियुक्तों सलमान, फरमान, इमरान व शाहरुख पुत्रगण वली व अन्य लोगों द्वारा वादी के भतीजे शाहजान की हत्या कर दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 369/26 धारा 103(1)/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ईनामी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 369/26 धारा 61(2)/ 103(1)/351(2)/352/191(2)/190 बीएनएस में वांछित 25 हजार रुपये के

ईनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सलमान पुत्र वली मौहम्मद निवासी मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चाहल थाना कोतवाली बागपत।
2-उ0नि0 श्री अंकित कुमार थाना कोतवाली बागपत।
3-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत।
4-है0का0 339 राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत।
5-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत।
6-का0 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत।
7-का0 467 टिंकू अधाना थाना कोतवाली बागपत।

प्रेस नोट

थाना बडौत　　　　　　　　दिनांक 20.07.2026

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सबंध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचनाः- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

शाहिल पुत्र नाजर अली निवासी ग्राम आरिफपुर खडखडी थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- **एक अवैध तमंचा .315 बोर।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सचिन कुमार थाना बड़ौत।

2-है0का0 769 सतेन्द्र कुमार थाना बड़ौत।

3-है0का0 717 राजुद्दीन थाना बड़ौत।

प्रेस नोट

थाना बिनौली दिनाँक-20.07.2026

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 221/26 धारा 115(2)/109(1)/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध बलकटी बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.07.2026 को थाना बिनौली पर वादी श्री प्रदीप कुमार पुत्र रामरिख निवासी ग्राम जौहड़ी, थाना बिनौली, जनपद बागपत द्वारा लिखित तहरीर दी कि उसके पुत्र वरुण उम्र करीब 25 वर्ष के साथ अभियुक्त मुकुल उर्फ भीमा पुत्र चमन सिंह निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा जान से मारने की नियत से तबल से हमला कर हाथ एवं सिर पर चोट पहुंचाई गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी दी । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 221/2026 धारा 115(2)/109(1)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 221/26 धारा 115(2)/109(1)/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध बलकटी बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मुकुल उर्फ भीमा पुत्र चमनसिंह निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक अवैध बलकटी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-का0 892 तेजवीर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना बिनौली दिनाँक-20.07.2026

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 147/26 धारा 115(2)/352/351(3)/308(2)/308(3)/308(6) बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24-05-2026 को थाना बिनौली पर वादी विनोद कुमार पुत्र श्री भंवर सिंह निवासी ग्राम जौहड़ी थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्त मनोज निवासी ग्राम बिनौली थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा वादी के ईंट भट्टा जय ब्रिक्स फील्ड सराय रोड बिनौली पर आकर धमकी दी गई कि आप अवैध तरीके से भट्टा चला रहे हैं, या तो मुझे 10 हजार रुपये दो अन्यथा आपका भट्टा बंद करवा दूंगा। रुपये न देने पर अभियुक्त द्वारा वादी के साथ हाथापाई एवं गाली-गलौच की गई तथा पूर्व में भी पत्रकारिता का दबाव बनाकर वादी के मुनीम से 07 हजार रुपये लिए गए थे। अभियुक्त द्वारा बार-बार रुपये देने का दबाव बनाया जा रहा है तथा रुपये न देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने एवं जान से मारने की धमकी दी गयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 147/26 धारा 115(2)/352/351(3)/308(2)/308(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

नोट- उक्त अभियोग की विवेचना को दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 308(6) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 147/26 धारा 115(2)/352/351(3)/308(2)/308(3)/308(6) बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मनोज पुत्र धर्मपाल निवासी कस्बा बिनौली थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सत्यवीर सिंह परमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।

3-का0 1115 राहुल कुमार तिवारी थाना बिनौली जनपद बागपत।

4-हो0गा0 435 प्रणवीर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।

उत्तर प्रदेश पुलिस

प्रेस नोट

थाना रमाला   दिनाँक 20.07.2026

ऑपरेशन स्माईल के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस ने नाबालिक गुमशुदा 04 बच्चों को अथक प्रयास के बाद सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को किया सुपुर्द।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा गुमशुदा नाबालिग 04 बच्चे को अथक प्रयास के बाद सकुशल बरामद कर उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया।

परिजनों द्वारा थाना रमाला पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।

2-है0का0 781 नीरज कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

3-रि0का0 269 मानवेन्द्र सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर   दिनाँक 20.07.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 241/2026 धारा 305(क) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 03 बैट्री व एक अवैध चाकू बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.07.2026 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी श्री नदीम अल्वी पुत्र अय्यूब अल्वी निवासी अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा उसके गोदाम से 05 बैट्रियां, 01 इन्वर्टर, 01 मोटर तथा 01 रबिंग पॉलिशर चोरी कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 241/2026 धारा 305(क) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 241/2026 धारा 305(क) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए बैट्री में से 03 बैट्री व एक अवैध चाकू बरामद हुआ है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-नाजिम पुत्र इस्लाम निवासी कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत।

2-फरमान पुत्र शब्बीर निवासी आशियाना अशोक बिहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

- **03 बैट्री व एक अवैध चाकू।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री स्नेह प्रकास थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3-उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

4-है0का0 546 विपिन थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत   दिनाँक 20.07.2026

थाना बडौत पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का नाम व पता-

1-सुभाष उर्फ रावण पुत्र तेजपाल सिंह निवासी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।
2-औरंगजेब उर्फ रहीसू पुत्र नवाब निवासी ग्राम बावली थाना बड़ौत जनपद बागपत।
3-करण उर्फ विनय पुत्र हरपाल निवासी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सचिन कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
2-0नि0 श्री विपिन कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
3-है0का0 717 राजुद्दीन थाना बडौत जनपद बागपत।
4-है0का0 769 सतेन्द्र सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत।
5-है0का0 820 अमित कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
6-है0का0 358 बन्टी रावल थाना बड़ौत जनपद बागपत।